समक्ष माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण सन् 2016 R 4069-I-16
4069

आवेदकगण — 1— मोहनलाल पिता किशनलाल रैकवार
निवासी यादव कालोनी कमला नेहरू नगर वार्ड जबलपुर
2— मुन्नालाल पिता स्व. सुमेरलाल रैकवार
निवासी 1156, विवेकानंद वार्ड यादव कालोनी,जबलपुर

श्री के० के० द्विवेदी अभि० द्वारा आज दि 2.12.16 को प्रस्तुत
2.12.16
रीडर राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
657
2-12-16

विरूद्ध

अनावेदक — श्रीमति हलीमन बी बेवा मो.पीर खॉ उर्फ पीरू
निवासी बैदरा मोहल्ला गढ़ा, जबलपुर

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू—राजस्व संहिता 1959

विचारण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार नजूल कोतवाली जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं. 175/अ—6 सन् 2005—06, 103/अ—6 सन् 2005—06 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17—06—2016 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर न्यायदान हेतु पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :—

तथ्य

1— यह कि ग्राम कछपुरा नं.बं. 501 प.ह.नं. 25/31 तहसील व जिला जबलपुर स्थित खसरा नंबर 73/1 रकबा 0.664 हे. भूमि के भूमिस्वामी मालिक काबिज पीरखां उर्फ पीरू खां थे ।

2— यह कि पीर खां उर्फ पीरू द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि का विक्रय अपनी पत्नि आवेदिका श्रीमति हलीमन बी एवं पुत्र आसीन खान की जानकारी एवं सहमति से अनावेदक क्रमांक 1 मोहनलाल बल्द किशनलाल एवं रिंकू नाबालिग पिता मुन्नालाल को पंजीकृत बैनामा दिनांक 15—6—1979 के माध्यम से राशि रूपया 10,000/— में किया गया है जिसका ग्रंथ कं. 3695 पंजीयन कं. 2600 हैं । रिंकू नाबालिग मुन्नालाल का पुत्र था जिसका स्वर्गवास अविवाहित अवस्था में हो गया था जिससे उसकी चल अचल संपत्ति का मालिक उसका पिता मुन्नालाल पिता स्व. सुमेर हो गया ।

2-12-16
K.K. Dwivedi

—2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4069–एक / 16 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर

4.2.19

आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 तिवारी उपस्थित। । आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार नजूल कोतवाली जबलपुर के प्रकरण कमांक 175 / अ–6 / 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 17.6.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:–

धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन–

(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा।

3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला जबलपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29 / 03 / 19 को उपस्थित हों।

सदस्य

पेशी दिनांक 29 / 3 / 19

कलेक्टर जिला जबलपुर